न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–71 सन् 2019

दीना साह वगैरह.....वादी।

बनाम

दीप नारायण राय वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 06.11.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 24.08.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0 06 रामदास साह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 21.12.2019 को अपने कानूनी वारिसान दो पुत्र रामजी साह वो चन्देश्वर साह को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से दिनांक 13.03.2022 को इस संबंध में आवेदन दाखिल किया गया था लेकिन श्रीमान् के द्वारा मृत्यु की तिथि नहीं रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। अतः निवेदन है कि अर्जीदावी से प्रतिवादी सं0 06 का नाम कलमजद कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम कलमबद्ध कर दिया जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंटस सेटेसाइट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है तथा मौखिक रूप से विरोध किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 06 रामदास साह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 21.12.2019 को अपने दो पुत्र रामजी साह वो चंदेश्वर साह को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से दिनांक 13.03.2022 को इस संबंध में आवेदन दाखिल किया गया था लेकिन श्रीमान् के द्वारा मृत्यु की तिथि नहीं रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर चुका है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 24.08.2023 को 200/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत

किया जाता है। वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें।

मुंसिफ
सोनपुर, सारण।

दिनांक–06.11.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 24.08.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0 03 सैतलाल साह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 03.07.2023 को अपने कानूनी वारिसान तीन पुत्र गोपाल साह, शिवनाथ साह एवं सिपरसन साह को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 03 का नाम वादपत्र से कलमजद करन उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अर्जीदावी से प्रतिवादी सं0 03 सैतलाल साह का नाम कलमजद कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम कलमबद्ध कर दिया जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंटस सेटेसाइट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है तथा मौखिक रूप से विरोध किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 03 सैतलाल साह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 03.07.2023 को अपने कानूनी वारिसान तीन पुत्र गोपाल साह, शिवनाथ साह एवं सिपरसन साह को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर चुका है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 24.08.2023 को 200/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें।

मुंसिफ
सोनपुर, सारण।

दिनांक–06.11.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 03 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 24.08.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0 01 दीना साह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 26.12.2020 को अपने कानूनी वारिसान चार पुत्र सुनील साह, अनिल साह, उदय साह एवं विक्की साह को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में वादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद करन उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अर्जीदावी से वादी सं0 01 दीना साह का नाम कलमजद कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम कलमबद्ध कर दिया जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंटस सेटेसाइट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है तथा मौखिक रूप से विरोध किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 01 दीना साह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 26.12.2020 को अपने कानूनी वारिसान चार पुत्र सुनील साह, अनिल साह, उदय साह एवं विक्की साह को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर चुका है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 24.08.2023 को 200/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें। वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर, सारण।